# शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा

लव–कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.) 450001, दूरभाष– 0733-2245000, Fax-0733-2245001
Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

क्रमांक/1178/स्था./शा.चि.म./2020 खण्डवा, दिनांकः 10/09/2020

## // विज्ञप्ति सूचना //

1. मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ–2–53/2017/1/55 भोपाल दिनांक 12.01.2018 द्वारा म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा के अधीन चिकित्सकीय संवर्ग (महिला चिकित्सा अधिकारी एवं आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी) के रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है। इस हेतु आवेदन पत्र कार्यालय **अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.), पिन –450001** में दिनांक **25.09.2020** सायं **05:00** बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा (म.प्र.) की वेबसाइट **www.gmckhandwa.org** पर एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट **www.medicaleducation.mp.gov.in** पर उपलब्ध है।

2 .आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से **Dean and CEO, Government Medical College, Khandwa** के कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं एवं अपना पूर्ण रूप से निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों सहित स्कैन कराकर **स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा की ई–मेल आई. डी. deangmckhandwa@gmail.com** पर भी भेजा जाना अनिवार्य है।

3. आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा चिकित्सकीय संवर्ग हेतु आवेदन एवं आवेदित पद का नाम और आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

4. **उक्त पद में नियुक्ति हेतु दिनांक 25.09.2020 सायं 5:00 बजे तक प्राप्त होने वाले अभ्यार्थियों के मूल दस्तावेजों का परीक्षण के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड़ अभ्यार्थियों को जानकारी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा की अधिकृत वेबसाइट www.gmckhandwa.org पर पृथक–पृथक पर सूचना प्रसारित की जावेगी।**

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय चिकित्सा( महाविद्यालय, खंडवा (म.प्र.)

E/: Letter Prepared by- Kartik Jhawar



Scanned with CamScanner

# शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा

लव–कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.) 450001, दूरभाष– 0733-2245000, Fax-0733-2245001
Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org


क्रमांक/1178/स्था./विज्ञप्त/2020 खण्डवा, दिनांकः 10/09/2020

## // विज्ञप्ति सूचना PHASE-I //

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2–53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अन्तर्गत शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा के अधीन चिकित्सकीय संवर्ग ( महिला चिकित्सा अधिकारी एवं आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी ) निम्नलिखित रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिनांक 25.09.2020 सायं 05:00 बजें तक आमंत्रित किये जाते है :–

| स.क्र. | पद का नाम | UR | ST | SC | OBC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | महिला चिकित्सा अधिकारी | 1 F | 1 F | – | – – |
| 2. | आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी | 7+3 F | 3+1 F | 2+1 PHF | 2+1F |

- उपरोक्त चिन्हित पदों में **SC= अनुसूचित जाति, ST = अनुसूचित जनजाति, OBC = अन्य पिछड़ा वर्ग F = महिला एवं PHF = Physically handicapped Female उम्मीदवार हेतु आरक्षित हैं।**
- विज्ञप्ति से संबंधित विस्तृत जानकारी, शर्ते, आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा (म.प्र.) की वेबसाइट **www.gmckhandwa.org** पर एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट **www.medicaleducation.mp.gov.in** पर उपलब्ध है।

1. **पद नाम, पदों की संख्या, वेतनमान, न्यूनतम आयु, शैक्षणिक योग्यता, सेवानिवृत्ति की अधिवार्षिकी आयु संबंधी विवरण :–**

| स.क. | पद का नाम | वेतन बैंड, ग्रेड पे | न्यूनतम आयु सीमा | शैक्षणिक अर्हताऐ | सेवा निवृत्ति की अधिवार्षिकी आयु |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | महिला चिकित्सा अधिकारी (Lady Medical Officer) | Level – 12 मैट्रिक्स वेतन –56100 (छठवें वेतनमान 15600–39100 + ग्रेड–पे 5400 के अनुरूप ) | 25 वर्ष | एम.बी.बी.एस./एम.सी.आई द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण। | 65 वर्ष |
| 2 | आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी (Casualty Medical Officer) | Level – 12 मैट्रिक्स वेतन –56100 (छठवें वेतनमान 15600–39100 + ग्रेड–पे 5400 के अनुरूप ) | 25 वर्ष | एम.बी.बी.एस./एम.सी.आई द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण। | 65 वर्ष |

❖ **चिकित्सक का म.प्र. मेडिकल काउन्सिल से स्थाई पंजीयन अनिवार्य है।**

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,खण्डवा (म.प्र.)

E/: Letter Prepared by- Kartik Jhawar



Scanned with CamScanner

## आर्हताएं एवं शर्ते :–

1. कॉलम 5 में उल्लेखित अर्हताओं में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् या मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद्, द्वारा परिवर्तन किए जाने पर तदानुसार परिवर्तित अर्हताएं स्वयं ही लागू होंगी।
2. कार्यकारिणी समिति समय–समय पर संकल्प पारित कर पद विशेष के लिए अतिरिक्त अथवा अन्य अथवा दोनों अर्हताएं निर्धारित कर सकेगी।
3. पदों की संख्या अधिक/कम की जा सकती है।
4. आवेदक की अधिकतम आयु म.प्र. शासन के नियमानुसार होगी।। आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के आवेदकों को आयु सीमा में छूट म.प्र. शासन के नियमों के अनुसार होगी।
5. म.प्र. के मूल निवासी को चयन में प्राथमिकता होगी।
6. आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात आने वाली 01 जनवरी के दिनांक को आधार मानकर गणना की जावेगी।
7. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय–समय पर जारी आदशों के अनुसार होगा।
8. जाति प्रमाण पत्र आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जावेगा।
9. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति जो सीधी भर्ती के पद के लिए अर्हताधारी हों सीधी भर्ती के पद विरूद्ध आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा और ऐसे आवेदन के लिए उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नही लेना होगा। साथ ही अन्य सभी शासकीय सेवकों को जो सीधी भर्ती के पद के लिए अर्हताधारी हों उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

## निरर्हतायें :–

- विकृत्त चित्त वाला होने पर।
- दुश्चरित्र होने पर।
- शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- नियुक्ति के लिए प्रयास/अनुशंसा–किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिए से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिए अनर्हकारी माना जायेगा।
- विवाह संबंधी : जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिए 21 वर्ष एंव महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा, उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/ महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
- कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
- कदाचरण संबंधी– किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
- स्वास्थ्य संबंधी–चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।





Scanned with CamScanner

10. उपरोक्त सूची में उल्लेखित पद पर चयनित अभ्यार्थी की नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा कर दी जावेगी।

11. उक्त नियुक्तियां म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018 आधीन होगी।

12. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथिः–अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा (म.प्र.) पिनः–450001 हेतु आवेदन पत्र दिनांक **25.09.2020** सायं **05:00** बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक/ स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराये जा सकते हैंएवं अपना पूर्ण रूप से निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों सहित स्कैन कराकर **स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा की ई–मेल आई. डी. deangmckhandwa@gmail.com** पर भी भेजा जाना अनिवार्य है।

13. आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा में चिकित्सकीय संवर्ग हेतु आवेदन तथा आवेदित पद का नाम और आरक्षित/ अनारक्षित श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। पोस्टल डिले के लिए अभ्यार्थी स्वयं जवाबदार होंगे।

14. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

15. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा मध्यप्रदेश की वेबसाइट **www.gmckhandwa.org** एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट **www.medicaleducation.mp.gov.in** पर उपलब्ध है।

**महत्वपूर्ण टीपः–** यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्ते पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाए जाने पर अथवा चयन होने के उपरांत उसका आवेदन पत्र/नियुक्ति निरस्त कर उसके उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी। आवेदक के विरूद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

**अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
**शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,खण्डवा (म.प्र.)**



Scanned with CamScanner